



शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
प्री.एम.पी.एड. परीक्षा - 2024
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



प्रवेश दिशा-निर्देशिका

शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड) पाठ्यक्रम -2024
Master of Physical Education (M.P.Ed.) Programme -2024



डॉ. नीरज अरोड़ा
सह-समन्वयक

डॉ. कपिल गौतम
समन्वयक

कार्यालय

समन्वयक, एम.पी.एड.-2024

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, नालंदा भवन,
रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) 324010

Email- ID: bpdpmped2024@vmou.ac.in मो: 8302622404

वेबसाइट : pmpedvmou24.com



अनुक्रमणिका

क्रम	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अधिसूचना प्री.एम.पी.एड - 2024	3
2.	एम.पी.एड. -2024 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के सामान्य दिशा-निर्देश	4
3.	एम.पी.एड. -2024 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित योग्यताएं	5
4.	एम.पी.एड. -2024 पाठ्यक्रम की चयन प्रक्रिया से सम्बंधित दिशानिर्देश	6
5.	प्रवेश परीक्षा से सम्बंधित दिशानिर्देश	7
6.	शारीरिक दक्षता परीक्षण से सम्बंधित दिशानिर्देश	10
7.	एम.पी.एड. -2024 की वरीयता का निर्धारण से सम्बंधित दिशानिर्देश	11
8.	सीटों का आरक्षण से सम्बंधित नियम एवं दिशानिर्देश	13
9.	एम.पी.एड. -2024 पाठ्यक्रम के शुल्क सम्बन्धित दिशानिर्देश	14



दिनांक: 01.08.2024

अधिसूचना - 1/2024

प्री.एम.पी.एड. परीक्षा – 2024

2 वर्षीय शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में सत्र 2024-25 हेतु 2 वर्षीय शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट pmpedvmou24.com पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर लें।

क्र.सं.	विवरण	महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
1.	आवेदन- प्रारम्भ करने की तिथि	03.08.2024
2.	आवेदन की अंतिम तिथि	10.08.2024
3.	प्रवेश परीक्षा तिथि	08.09.2024 (रविवार)

प्रवेश परीक्षा शुल्क रु.1000/-

समन्वयक, एम.पी.एड. - 2024

दूरभाष – 8302622404

वेबसाइट - pmpedvmou24.com

द्विवर्षीय एम.पी.एड. परीक्षा -2024 हेतु सामान्य नियम एवं मार्गदर्शन

उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक: प-10(3) शिक्षा ग्रुप-4/2016 पार्ट-00224 जयपुर के दिनांक 10.07.2024 के द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संचालित एम.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रणाली के माध्यम से प्रवेश प्रदान करने हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को अधिकृत किया गया है।

एम.पी.एड. -2024 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

1. द्विवर्षीय एम.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाइट pmpedvmou24.com पर उपलब्ध सूचनाओ एवं सामान्य दिशा निर्देश एवं इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा इसके पश्चात यदि वे आवेदन हेतु योग्यता रखते हैं तो सर्वप्रथम प्री.एम.पी.एड. प्रवेश परीक्षा 2024 की वेबसाइट pmpedvmou24.com पर पंजीयन कर निर्देशानुसार परीक्षा शुल्क जमा करावें।
2. अभ्यर्थी प्री.एम.पी.एड. प्रवेश परीक्षा शुल्क राशि रू. 1000/- का भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई./ई-मित्र से कर सकेंगे तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिन्ट कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा।
3. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई – मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।
4. हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी दशा में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदक ध्यान दें: -

- a) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदन पत्र का प्री-व्यू (Preview) चैक करें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारम्भ से नया आवेदन करें।
- b) आवेदन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।
- c) एक बार जमा की गई आवेदन शुल्क राशि केवल तकनीकी कारणों से दोहरा शुल्क जमा होने की स्थिति में ही लौटायी जावेगी, शेष प्रकरणों में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।
- d) यदि तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कुछ समय इन्तजार पश्चात् वेबसाइट पर उपलब्ध check payment Status विकल्प पर चैक करने पर, यदि परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन सफल दर्शाता है तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें तथा यदि परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन इस स्थिति में भी विफल रहता है तो पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से शुल्क जमा करवाना होगा।

नोट :- उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की अंकतालिकाओं के अनुसार भरें। साथ ही अपने स्वयं के सही मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी उपलब्ध करवाएं जिस पर समय-समय पर सूचना प्रेषित की जा सके।

- e) ऑनलाईन आवेदन पत्रों की प्रिन्ट प्रति जमा करवाने हेतु: द्विवर्षीय एम.पी.एड. पाठ्यक्रम 2024 के ऑनलाईन भरे हुये आवेदन पत्र की तीन हार्ड प्रतियाँ अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें जिसमें से एक ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड प्रति के साथ अपने सभी शैक्षणिक व खेल प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि व निरस्त चैक संलग्न कर समस्त दस्तावेजों के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय प्रस्तुत करें।

- f) शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित होने की सूचना वेबसाईट पर दी जायेगी व सभी अभ्यर्थी खेल पोशाक में उपस्थित होंगे।
- g) शारीरिक दक्षता परीक्षण एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना होगा तथा उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में अनुत्तीर्ण होते हैं, उन्हें सीटों की उपलब्धता होने पर ही पुनः अवसर दिया जा सकेगा।
- h) अभ्यर्थी द्विवर्षीय एम.पी.एड. पाठ्यक्रम 2024 की वेबसाईट को समय-समय पर देखते रहें, जिससे वे अद्यतन सूचना से अवगत होते रहें।

अनुभाग I: एम.पी.एड. -2024 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित योग्यताएं

एम.पी.एड. 2024-25 पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व वांछित योग्यताओं का होना अतिआवश्यक है, इसके अभाव में प्रवेश हेतु आवेदन अमान्य होगा।

1. शैक्षिक योग्यता:-

अभ्यर्थी का विधि अनुसार गठित संस्थान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि (बी.पी.एड.)/शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बी.एससी./पी.जी.डी.पी.एड. में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 10 (3) शिक्षा-4/2012 पार्ट दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के अनुसार राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।

जो अभ्यर्थी इस सत्र में शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय न्यूनतम अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की मूल अंकतालिका मय सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की समस्त अंकतालिकाओं सहित, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी इत्यादि की मूल ही खेल प्रमाण पत्र व समस्त प्रमाण पत्रों की दो-दो स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी, उक्त दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अपात्र होगा।

जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रविष्ट (Appeared in last year) हो रहे हैं उनको प्री.बी.पी.एड. परीक्षा हेतु आवेदन करने की छूट दी गई है, परन्तु उक्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता/दस्तावेज सत्यापन वाले दिन अपनी अन्तिम वर्ष की मूल अंकतालिका (Original Marksheet)/अग्रिम परिणाम (Advance Result) – परीक्षा नियन्त्रक द्वारा सत्यापित अंकतालिका (Online Result के सन्दर्भ में) आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। उक्त के अभाव में उन अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुए अस्थाई परिणाम जारी कर दिया जावेगा।

आवेदक ध्यान दें :-

- जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा (बी.पी.एड) के अन्तिम वर्ष में प्रविष्ट (Appeared in last year) हो रहे हैं उनको प्री.एम.पी.एड. परीक्षा हेतु आवेदन करने की छूट दी गई है, परन्तु उक्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता/दस्तावेज सत्यापन वाले दिन अपनी अन्तिम वर्ष की मूल अंकतालिका (Original Marksheet)/अग्रिम परिणाम (Advance Result) – परीक्षा नियन्त्रक द्वारा सत्यापित अंकतालिका (Online Result के सन्दर्भ में) आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। उक्त के अभाव में उन अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुए अस्थाई परिणाम जारी कर दिया जावेगा।

2. आयु:- द्विवर्षीय एम.पी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु निर्धारित नहीं है।

3. **शारीरिक योग्यता:-** द्विवर्षीय एम.पी.एड. में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं उसमें कठोर शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलों को खेलने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं बहरापन नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करवाकर फार्म के साथ जमा कराना आवश्यक है। महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए। उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगी एवं प्रशिक्षण के दौरान उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।

आवश्यक निर्देश :

- उक्त शारीरिक अयोग्यताएं न होने एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो पन्द्रह दिनों से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
- निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारे में यदि कोई संशय होने पर, प्रवेश के समय गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास प्रकरण भिजवाया जावेगा, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

अनुभाग II: एम. पी. एड. 2024 पाठ्यक्रम की चयन प्रक्रिया से सम्बंधित दिशानिर्देश

एम. पी. एड. 2024 पाठ्यक्रम की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जायेगी :-

1. प्रथम चरण में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार कुल आवंटित सीटों से तीन गुना अभ्यर्थी अग्रिम चरण हेतु योग्य माने जाएंगे। प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी **अनुभाग III** में वर्णित है।
2. द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जायेगा। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा। यह एक वांछनीय योग्यता है। इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी ही अग्रिम चरण में भाग लेने योग्य होगा। विस्तृत जानकारी **अनुभाग IV** में वर्णित है।
3. तृतीय चरण में वरीयता निर्धारण का निर्धारण किया जायेगा। विस्तृत जानकारी **अनुभाग V** में वर्णित है। चयन प्रक्रिया को सरलता से निम्नलिखित तालिका के अनुसार समझा जा सकता है :-

प्रथम चरण	
प्रवेश परीक्षा	मापदण्ड :- कुल 100 अंक कुल आवंटित सीटों से तीन गुना अभ्यर्थी अग्रिम चरण हेतु योग्य माने जाएंगे
द्वितीय चरण	
शारीरिक दक्षता परीक्षण	मापदंड :- पुरुष वर्ग :- 2400 मीटर/12 मिनट महिला वर्ग :- 2000 मीटर/12 मिनट यह एक वांछनीय योग्यता है इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी ही अग्रिम चरण में भाग लेने योग्य होगा इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं है
तृतीय चरण	
वरीयता निर्धारण	मापदंड :- प्रवेश परीक्षा - 20 अंक (प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 20 % अंक) बी.पी.एड/ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बी.एस.सी./ पीजी डी.पी.एड. के परीक्षा :- 40 अंक (कुल प्राप्तांकों के 40%) सीपीएड/डीपीएड/ किसी भी खेल में एकवर्षीय डिप्लोमा - 05 अंक खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम अंक :- 35 अंक अधिकतम कुल 100 अंक

अनुभाग III: प्रवेश परीक्षा से सम्बंधित दिशानिर्देश

द्विवर्षीय एम.पी.एड. 2024 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवायी जावेगी, जिसके सम्बन्ध में सामान्य निर्देश निम्नानुसार है:-

1. प्रश्नपत्र :-

- प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी।
- प्रश्न पत्र की अवधि 90 मिनट की होगी।
- प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, सम्पूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा।
- गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं काटा जावेगा।
- प्रश्न-पत्र का माध्यम (Medium of Question Paper) :-** ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र की भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। चयनित भाषा के आधार पर ही अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में देय नहीं होगा।

2. पाठ्यक्रम :-

प्री.एम.पी.एड. 2024 प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र की रूपरेखा/ पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

Pattern of Question Paper	No. of Questions
a) Basic Sports Terms	10
b) History of Sports	10
c) Sports Performance	10
d) Sportspersons and Games	10
e) Mental Ability and Reasoning	10
f) Trophies and Games to which they are associated and winners of these Trophies	10
g) Anatomy and Physiology	10
h) Allied Sports and Rules & Regulations of various Games played in India	10
i) General Knowledge and Current Affairs (not related to Sports) –	
• National (Geographical, Cultural, and Economical aspects)	10
• Rajasthan (Geographical, Cultural, and Economical aspects)	10
Total questions	100

3. हल करने की विधि :-

- सभी प्रश्न पत्र “टेस्ट बुकलेट” के रूप में होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पी उत्तर (A), (B), (C), (D) रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तरपत्रक में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में काले/नीले बॉलपेन से पूरे गोले को गहरा काला/नीला करना है। निशान गहरा काला/नीला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा काला/नीला करना है जैसा नमूने में दर्शाया गया है।

सही गोला करने का उदहारण



दी हुई उपयुक्त जगह को ही काला/नीला कीजिए। उत्तरपत्रक पर इधर-उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को काला/नीला कर देने से वह उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तरपत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए अलग से स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। मूल्यांकन केवल उत्तरपत्रक के आधार पर ही किया जायेगा। **परीक्षा उपरान्त प्रश्न-पत्र पुनः जमा करवाना है। ओ.एम.आर. की कार्बन प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा।**

- टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक उत्तर-पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला/नीला करें।
- आवेदन-पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑनलाइन सबमिट करें एवं परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान या बैंक चालान से भुगतान कर उसका प्रिन्ट लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अपने पास रखे, जिसे काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। आवेदन-पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज, जानबूझ कर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा तथा ऐसा कृत्य इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।

अन्य निर्देश :-

- प्रवेश-पत्र प्री.एम.पी.एड.- 2024 की वेबसाइट pmpedvmou24.com पर उपलब्ध होंगे।
- प्री.एम.पी.एड. प्रवेश-परीक्षा के उत्तर पत्रक की रिस्केनिंग करवाने हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषणा तारीख के 10 दिन की अवधि में रु. 200/- (रूपये दो सौ मात्र) शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना है।
- मूल उत्तर-पत्रक (ओरिजिनल ओ. एम. आर) किसी भी सूरत में परीक्षा उपरांत किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।
- यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग, विधवा/परित्यक्ता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी क्षेत्र के निवासी, सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। **अभ्यर्थी ध्यान दें कि अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।**
- इस टेस्ट व इसके द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय-समय पर जारी आदेश आदि लागू होंगे।

6. प्री.एम.पी.एड. आवेदन-पत्र की डाउनलोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावेजों को इस क्रमानुसार रखें –

i पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति

ii अंकतालिकाएं एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण-पत्र निम्न क्रम में रखें :-

10वीं, 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर, बी.पी.एड. प्रथम एवं अंतिम वर्ष

iii CPD, DPD/किसी भी खेल में एक वर्षीय डिप्लोमा

iv खेल प्रमाण-पत्र

v जाति प्रमाण-पत्र

vi सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र

vii EWS प्रमाण-पत्र

viii मूल निवास प्रमाण-पत्र आदि

ix रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद (शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय)

x अपार/ABC ID

नोट: इस बिन्दु में क्रम से 2 से 9 में दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण-पत्रों, जो आपसे सम्बन्धित हो की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपरोक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित, संभाल कर रखें जिन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं काउंसलिंग उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

7. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा होगा। राजस्थान के महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 हेतु सिर्फ प्रवेश देने की जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की है अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर वाद वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार प्री.एम.पी.एड. 2024 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/- रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजायें हो सकती हैं।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य नियम :-

- अभ्यर्थी को प्री.एम.पी.एड. 2024 में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन-पत्रों की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं की जाती है। प्री.एम.पी.एड. परीक्षा 2024 में बैठना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी है।
- प्री.एम.पी.एड. परीक्षा की मेरिट में यदि उसका चयन हो भी जाता है तब भी अपात्र/अयोग्य पाए जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं शुल्क भी लौटाया नहीं जायेगा।

- iii. अभ्यर्थी को नियमावली व सामान्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनकी पालना करनी चाहिए अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे।
- iv. किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी श्रेणी विशेष का उल्लेख करना परन्तु वास्तविकता में उस श्रेणी से सम्बन्ध नहीं रखना या आवेदन-पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किए बगैर प्रमाण-पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या ऑन-लाइन आवेदन-पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना / तथ्य अंकित करना “दुराचरण” माना जायेगा और परिणामस्वरूप ऐसा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- v. प्री.एम.पी.एड. प्रवेश परीक्षा शुल्क उपरोक्त दर्शाई गई किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय नहीं (Non-refundable) है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिए।

परीक्षा परिणाम की घोषणा :-

- i. सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्री.एम.पी.एड. 2024 की वेबसाइट pmpedvmou24.com एवं समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी। प्री. एम.पी.एड. में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन की स्थिति की जानकारी वेबसाइट पर उनके परिणाम के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। प्री.एम.पी.एड. में प्रवेश के लिए परिणाम/चयन के बारे में कोई जानकारी डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गये मोबाइल नंबर पर सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से दी जाएगी।
- ii. परीक्षा से संबंधित सामग्री को परीक्षा के बाद छह माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। इसके बाद सामग्री का निस्तारण किया जाएगा।
- iii. परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का साथ में लाना पूर्णतया वर्जित है।

अनुभाग IV: शारीरिक दक्षता परीक्षण से सम्बंधित दिशानिर्देश

प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह एक वांछनीय योग्यता है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा।

वर्ग	दौड़	समय
पुरुष वर्ग	2400 मीटर दौड़	12 मिनट
महिला वर्ग	2000 मीटर दौड़	12 मिनट

सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना होगा। उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जो प्री.एम.पी.एड. 2024 आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित रहा है किन्तु किन्हीं कारणों से असफल हो जाता है, तो इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को वरीयता सूची से सीटें भरे जाने के पश्चात् शेष रही रिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जा सकेगा, जो कि अभ्यर्थियों को सुविधामात्र है। तथापि उक्त प्रकृति के अभ्यर्थियों को तत्समय उपलब्ध अभ्यर्थियों की वरीयता के क्रम में प्रवेश का अवसर प्रदान किया जावेगा।

आवेदक ध्यान दें :-

- प्रवेशार्थी जिस संस्था में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए काउन्सलिंग के समय महाविद्यालयों की अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए विकल्प का उल्लेख करें।
- प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ समस्त दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो कि वर्तमान

सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी दस्तावेज पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने में शिथिलता रहेगी।

- किसी भी राजकीय विभाग/स्वशाषी निकाय में सेवारत कार्मिक यदि आवेदन कर रहा है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति (No Objection Certificate) आवेदन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक होगा।
- शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय मूल अंकतालिका एवं सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अनुभाग V: एम.पी.एड. 2024 की वरीयता का निर्धारण से सम्बंधित दिशानिर्देश

प्री.एम.पी.एड 2024 की वरीयता का निर्धारण अधोलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा :-

क्र.सं.	विवरण	अधिकतम अंक
1	प्रवेश परीक्षा	20 अंक (प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 20%)
2	बी.पी.एड/ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बी.एस.सी./ पीजी डी.पी.एड. के परीक्षा	40 अंक (कुल प्राप्तांकों के 40%)
3	सी.पी.एड, डी.पी.एड. या किसी भी खेल में एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा	05 अंक
4	खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम अंक (पृष्ठ सं. 11 से 13 बिन्दु सं. 4 से 6 के अनुसार)	35 अंक
कुल अधिकतम अंक		100 अंक

1. प्री.एम.पी.एड 2024 हेतु आवेदन पत्रों को प्रथम राज्य वरीयता/वर्गवार पृथक किया जाएगा तथा उसके बाद वरीयता का निर्धारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।
2. प्री.एम.पी.एड. 2024 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 20% वरीयतांक दिये जायेंगे।
3. पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार सहशिक्षा वाले संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकेगा। महिला अभ्यर्थियों को ही उनकी मेरिट के अनुसार महिला शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिया जायेगा।
4. **खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यता/ खेल प्रमाण पत्र:-** खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/ माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विश्वविद्यालय समिति, केन्द्र विद्यालय संगठन की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और विश्वविद्यालय/खेल बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/विजेता खिलाड़ियों की उपलब्धि के अनुसार अंक (weightage) दिये जा सकेंगे।
आवेदक ध्यान दें :- ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपने पास उपलब्ध सर्वोच्च अंक वाले किसी एक प्रमाण पत्र के अंक ही दर्ज करने हैं।
5. ओपन प्रतियोगिताओं के कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।
6. खेल प्रमाण पत्र की सूची एवं अंक निम्नांकित है :-

I.	विश्व स्कूल खेल (World School Games)/वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल (World University Games) में प्रतिभागिता/अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गोम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	35 अंक
----	--	--------

II.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	30 अंक
III.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	25 अंक
IV.	स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	20 अंक
V.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	20 अंक
VI.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./ नवोदय विद्यालय/ आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	15 अंक
VII.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/ स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./ नवोदय विद्यालय/ आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	13 अंक
VIII.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/जोन अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/ आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	12 अंक
IX.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	10 अंक
X.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	08 अंक
XI.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	06 अंक
XII.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत	04 अंक

विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए

नोट :- सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक को उक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ किसी राजकीय/अनुदानित गैर राजकीय विद्यालय में न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर सेवारत होना आवश्यक है।

प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित टिप्पणियाँ-

1. वरीयता निर्धारण के परिणामस्वरूप आने वाली वरीयताओं में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ी वरीयता में स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रक्रिया निर्देश में दर्शायी गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश दिया जायेगा। बशर्ते की उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो।

अनुभाग VI: सीटों का आरक्षण से सम्बन्धित नियम एवं दिशानिर्देश

द्विवर्षीय एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सभी वर्गों के लिये राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के पश्चात् रिक्त रही शेष सीटों पर प्रवेश सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में से नियमानुसार वरीयता के आधार पर दिया जा सकेगा।

1. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - a. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार मान्य होगा।
 - b. अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप होगी।
2. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायें।
3. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि, उसने पुनः शादी नहीं की है, देना होगा।
4. सेवानिवृत्त सैनिक के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का डिस्चार्ज (सेवानिवृत्त) प्रमाण पत्र एवं सेवानिवृत्त पुस्तिका होनी चाहिए।
5. अस्थायी प्रवेशित अभ्यर्थियों का अन्तिम दस्तावेज सत्यापन आवंटित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किया जावेगा, यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से महाविद्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात् अन्तर/त्रुटि पाई जाती है तो महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा।
6. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा शहर होगा। राजस्थान के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में द्विवर्षीय एम.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश सिर्फ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा ही किया जायेगा। तदनुसार उक्त पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर किसी अभ्यर्थी को

सीधे ही प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त प्रवेश के लिये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा जिम्मेदार नहीं होगा तथा उक्त अभ्यर्थी अयोग्य अभ्यर्थियों की श्रेणी में होगा। इस बाबत किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

7. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या या गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी के स्वतः ही प्रवेश की पात्रता रद्द हो जायेगी और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।
8. शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स यथा बी.पी.एड. /एम.पी.एड. में शारीरिक दक्षता एवं प्रशिक्षण के चलते दिव्यांगजनों को उक्त दोनों कोर्सेज में प्रवेश नहीं दिया जाता है।

अनुभाग VII: एम.पी.एड. 2024 पाठ्यक्रम के शुल्क सम्बन्धित दिशानिर्देश

1. **आवेदन शुल्क** :- आवेदक द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु एम.पी.एड. की वेबसाइट पर आवेदन करते समय आवेदन शुल्क के रूप में **1000 ₹** ऑनलाईन जमा करवाया जाएगा। एक बार जमा की गई आवेदन शुल्क राशि केवल तकनीकी कारणों से दोहरा शुल्क जमा होने की स्थिति में ही लौटायी जावेगी, शेष प्रकरणों में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।
2. **पंजीकरण शुल्क** :- उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण से पूर्व अभ्यर्थियों से पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिये पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि **₹. 5000/-** निर्धारित किया गया है, जो कि एम.पी.एड. की वेबसाइट के माध्यम से जमा करवाया जा सकेगा, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जावेगा, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण के समय जमा करवायी गई राशि को उक्त निर्धारित वार्षिक शुल्क राशि में समायोजित करते हुये, शेष राशि ही प्रवेश के समय निर्देशानुसार जमा करवानी होगी।
आवेदक ध्यान दें :- जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण से पूर्व पंजीकरण शुल्क जमा करवा दिया गया है, किन्तु किन्हीं कारणों से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है तथा सीटों के अभाव में महाविद्यालय आवंटित नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित हो चुका है, किन्तु उनके द्वारा अपवर्ड मूवमेन्ट प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् भी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया है, उनसे राशि **₹. 1000/-** प्रति अभ्यर्थी तथा जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में सीट आवंटित नहीं हो सकी है, उनसे राशि **₹. 500/-** प्रशासनिक/प्रक्रिया प्रभार के रूप में काट कर लौटा दी जावेगी।
3. **पाठ्यक्रम शुल्क** :- द्विवर्षीय एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि **₹. 22370/-** वार्षिक शुल्क निर्धारित किया हुआ है। अतः अभ्यर्थियों से कुल शुल्क उपरोक्तानुसार ही लिया जाना है।

आवेदक ध्यान दें :-

- इस निर्देशिका में दी गयी समस्त सूचनाएँ केवल अभ्यर्थियों की सहायता हेतु है अंतिम रूप में केवल NCTE एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के सम्बन्धित आदेश ही मान्य होंगे।
- प्री.एम.पी.एड. 2024 के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा की गई संभावित गतिविधियाँ (परीक्षा, काउंसलिंग और प्रवेश तिथि) की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी।

समन्वयक

प्री.एम.पी.एड. 2024

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

नमूना

सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी विद्यालय का नाम जिला
..... की तृतीय वेतन श्रृंखला में प्रथम नियुक्ति तिथि है। इनका मूल वेतन
..... रूपये प्रतिमाह है। ये वेतन श्रृंखला में कार्यरत है।

प्रति हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी नाम एवं मोहर सहित	हस्ताक्षर संस्था प्रधान नाम एवं मोहर सहित
--	--